भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

(दिनांक 07.02.2025 को उत्तर देने के लिए)

सरकारी विज्ञापनों के चैनल-वार प्रसार के लिए दिशा-निर्देश

587. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न मीडिया मंचों जैसे टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों के प्रसार को निर्धारित करने वाले विशिष्ट मानदंड या नीतिगत दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) सरकार किस प्रकार, विशेष रूप से पहुंच, क्षेत्रीय विविधता और लोक सेवा के उद्देश्यों के संदर्भ में विभिन्न मीडिया केन्द्रों में विज्ञापनों का निष्पक्ष और संतुलित आवंटन सुनिश्चित करती है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक चैनल (टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, आदि) के लिए विज्ञापनों पर किया गया कुल सरकारी व्यय कितना कितना है; और

(घ) क्या चैनल-वार खर्च में अधिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की ओर से उनके द्वारा चलाई जा रही स्कीम/कार्यक्रम/पहलों के बारे में सूचना प्रसारित करने और जागरुकता सृजन के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना/जागरूकता अभियान संचालित करता है जिनमें ग्राहक मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा इंगित लक्षित दर्शकों, अभियान के लिए पसंदीदा भौगोलिक क्षेत्र, बजट की उपलब्धता आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे अभियान संबंधित मीडिया माध्यमों के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार चलाए जाते हैं, जो सीबीसी की वेबसाइट https://cbcindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान सीबीसी द्वारा विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल आदि के माध्यम से जागरूकता और प्रचार अभियानों पर किया गया व्यय सीबीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच और प्रसार को अधिकतम करने में विभिन्न मीडिया विकल्पों की प्रभावकारिता के संबंध में समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।
